(84)

न्यायालय माज0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्र0क0 एक-निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2459

1- हबीव खां पुत्र खुशाल खॉ
2- माधव रजक पुत्र गवूले रजक
3- दयाराम रजक पुत्र गवूले रजक
तीनों ग्राम खरौं तहसील लिधौरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- राजबहादुर पुत्र घनश्यामदास राय
ग्राम खरौं तहसील लिधौरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
2- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

श्री-प्र गमक, भा0 द्वारा दि. 17-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 27-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त स्यावनी तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ ब्दारा प्रकरण कमांक 5 अ12/2016-17 में पारित आदेश दि. 25-11-16 के विरूद्ध)

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय

यह कि मूल विवाद ग्राम खरों स्थित भूमि सर्वे कमांक 1284/6 का है क्योंकि इस भूमि के अंश भाग पर लोक निर्माण विभाग की पक्की सड़क है एंव इसी भूमि के अंश भाग पर आवेदकगण के पीढ़ियों से मकान बने हुये है, जिन्हें अनावेदक कमांक-1 स्वयं स्वीकार कर रहा है।

यह कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसील न्यायालय में ग्राम खरों स्थित भूमि स0 क0 1284/1 , 1284/2/2, के सीमांकन का आवेदन दिया। हलका पटवारी ने आवेदकगण को एंव लोक निर्माण विभाग को सूचना दिये बिना कब सीमांकन कर दिया, आवेदकगण को पता नहीं चला एंव लोक निर्माण विभाग की सड़क तथा आवेदकगण के पुस्तैनी मकानों को अनावेदक क-1 की भूमि में होना हलका पटवारी ने बता दिया, जिसके कारण पटवारी ब्दारा किये गये सीमांकन दिनांक 25-11-16 को राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 25-11-16 से अंतिमता प्रदान नहीं की, फिर भी सीमांकन के अंतिम हुये बिना ही

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2459 हबीव खां विरूद्ध राजबहादुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~09-02-2019~~ 11-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक स्यावनी तहसील लिधौरा के प्रकरण क्रमांक 05/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी लिधौरा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी लिधौरा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 6. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 11/02/2019 सदस्य	